सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2017/03   दायर दिनाँक 13.04.2017

आवेदक		अनावेदकगण
1. मिश्रीलाल पुत्र पेराराम, जाति–कुम्हार, उम्र–75साल, निवासी–तोषीणा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. घासीराम पुत्र पाँचूराम, 2. पूर्णाराम पुत्र पाँचूराम, समस्त,जाति–माली, निवासी–तोषीणा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. भँवरू पुत्र खींया, 4. मदनलाल पुत्र हणमान, 5. राजू पुत्र हणमान, 6. मिश्रीलाल पुत्र झूमरराम (फौत), के वारिशान्– 6/1 भँवरलाल पुत्र स्वर्गीय मिश्रीलाल, 6/2 ओमप्रकाश पुत्र स्वर्गीय मिश्रीलाल 6/3 गोपाल पुत्र स्वर्गीय मिश्रीलाल 6/4 चेनाराम पुत्र स्वर्गीय मिश्रीलाल समस्त,जाति–माली, निवासी–तोषीणा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. कासमअली पुत्र नाथूबक्स, जाति–धोबी, निवासी–तोषीणा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. मालाराम पुत्र चौथूराम, 9. पूर्णी पत्नी चौथूराम, 10. घासीराम पुत्र पाँचूराम, 11. पूर्णाराम पुत्र पाँचूराम, समस्त,जाति–माली, निवासी–तोषीणा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

प्रार्थना–पत्र

अन्तर्गत धारा 251 ए(1) R.T. Act.

उपस्थितः–

1. पक्षकारान्।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या–03/2017
दायर दिनाँक 13.04.2017 निर्णय दिनाँक 05.06.2018
मिश्रीलाल बनाम् घासीराम, वगैरा।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **05.06.2018**

प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि, आवेदकगण उपखण्ड डीडवाना में ग्राम तोषीणा में स्थित खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1323/649 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा है। उक्त खसरा की भूमि में पहुँचने हेतु कोई रास्ता नहीं है जिस हेतु नये रास्ते के लिए आवेदन कर रहे है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) उप धारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमति लेना चाहते है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रभावित खातेदारान को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत होने के लिए जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण न्याय आपके द्वार, 2018 : कोर्ट कैम्प–तोषीणा में पेश हुआ। प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से जाँच व तथ्यात्मक रिपॉर्ट तलब की गयी। तहसीलदार डीडवाना ने रिपोर्ट क्रमांक 745 दिनाँक 29.05.2017 को पेश की।

तहसीलदार डीडवाना ने अपनी रिपोर्ट दिनाँक 29.05.2017 में प्रकरण में मौके का नजरी नक्शा अनुसार नया रास्ता प्रस्तावित किया है। उक्त रिपोर्ट के मुताबिक– शरहद तोषीणा के खसरा नम्बर 1323/649 में आने–जाने हेतु, खसरा नम्बर 652, 654 व 654 में से होकर मार्क ए बी सी डी प्रस्तावित किया है जो कि खसरा नम्बर 652 में 200 गुणा 13 बराबर 2600 वर्गफीट व खसरा नम्बर 654 में 180 गुणा 13 बराबर 2340 वर्गफीट भूमि तथा खसरा नम्बर 653 में 150 गुणा 13 बराबर 1950 वर्गफीट भूमि को प्रस्तावित किया है।

शरहद तोषीणा के खसरा नम्बर 1323/649 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा में आवागमन हेतु नया रास्ता उपलब्ध कराए जाने की प्रार्थी मांग कर रहे हैं। काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) उपधारा (1) में संशोधन होने के बाद एक काश्तकार को उसकी भूमियों में आने–जाने के लिए निकटतम रास्ता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। तहसीलदार डीडवाना की दिनाँक 29.05.2017 की रिपॉर्ट व उपलब्ध अभिलेख के अनुसार आवेदकगण की भूमि में आने–जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं है। कृषि भूमि में आवागमन के लिए प्रार्थी को रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट के साथ पेश हुई नजरी नक्शा

2

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या–03 / 2017
दायर दिनाँक 13.04.2017 निर्णय दिनाँक 05.06.2018
मिश्रीलाल बनाम् घासीराम, वगैरा।

रिपोर्ट मुताबिक भूमि को नजदीकी रास्ते के लिए प्रस्तावित किया है। तहसीलदार डीडवाना की दिनाँक 29.05.2017 की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट दिनाँक 29.05.2017 के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

–:: **आदेश** ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1323 / 649 वाकै शरहद तोषीणा में आवागमन हेतु, तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट दिनाँक 29.05.2017 के अनुसार, मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए बी सी डी लाल लाईन की भूमि, को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है।

तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करें। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट, निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

रास्ता में गयी भूमि की कीमत का, वर्तमान डी0एल0सी0 दर से नियमानुसार आंकलन कर, प्रभावित खातेदारान् को भूगतान की कार्यवाही करावें।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर डीडवाना
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–तोषीणा

निर्णय आज दिनाँक **05.06.2018** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–तोषीणा

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः—03—2017 / रीडर / 2018 / 5PL-I   दिनाँक 5/6/18

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —निर्णय की पालना करने बाबत्।

प्रार्थना—पत्र

अन्तर्गत धारा 251 ए(1) R.T. Act.

आवेदक		अनावेदकगण
1. मिश्रीलाल पुत्र पेराराम, जाति—कुम्हार, उम्र—75साल, निवासी—तोषीणा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. घासीराम पुत्र पाँचूराम, जाति—माली, निवासी—तोषीणा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
कोर्ट कैम्प तोषीणा

Scanned by CamScanner